**प्रयोजनमूलक हिंदी - अर्थ,स्वरूप, उद्देश्य एवं महत्व**

**प्रयोजनमूलक हिन्दी** शब्द का आशय हिन्दी के **सर्वाधिक व्यावहारिक** एवं सम्पर्क स्वरूप से है जो जनमानस के अनुकूल और जनव्यवहार के लिए सर्वथा सक्षम है।

**प्रयोजनमूलक हिन्दी को अंग्रेजी में 'Functional Hindi' कहा जाता है।** हिन्दी की पहचान साहित्य, कविता, कहानी तक ही सीमित नहीं है। आज वह ज्ञान-विज्ञान की सोच को अभिव्यक्त करने का सक्षम समर्थ साधन भी बन चुकी है। इस प्रकार बहुआयामी प्रयोजनों की अभिव्यक्ति में सक्षम, व्यावहारिक एवं प्रशासनिक हिन्दी का स्वरूप ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।

***अतः कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है। इसका दूसरा नाम व्यावहारिक हिन्दी भी है।***

**डॉ. मोटूरि सत्यनारायण** की मान्यता है**-“जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।"**

वहीं **डॉ. बापूराव देसाई** की मान्यता है**-“साहित्यिक भाषा सिद्धान्त प्रस्तुत करती है तो प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रत्यक्ष व्यवहार ।"**

**डॉ.विनोद गोदरे** के अनुसार, **“जीवन-जगत् की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार,उच्च शिक्षा,तन्त्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं सम्प्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष । भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिन्दी कहा जाता है।"**

**प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप, प्रयुक्तियाँ एवं विकास**

मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को सम्प्रेषित करने के लिए ही भाषा का उदय और विकास होता है। भाषा दो मुख्य आयामों में यह कार्य करती है-एक सौन्दर्यपरक आयाम में और दूसरा प्रयोजनपरक आयाम में । सौन्दर्यपरक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है, जबकि प्रयोजनपरक आयाम का सम्बन्ध सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है।

**प्रयोजनमूलक हिन्दी** के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयुक्ति **(Register)** कहा जाता है-"वस्तुतः भाषा अपने आपमें समरूपी होती है, परन्त प्रयोग में आने पर वह विषमरूपीं बन जाती है। इन्हीं प्रयोगगत भेदों के कारण कई भाषा भेद दिखाई पड़ते हैं; प्रयोजनमूलक हिन्दी जब कार्यालयों, विज्ञान, विधि,बैंक, व्यापार, जनसंचार आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, तब उसमें कई भाषा भेद बन जाते हैं।

**कार्यालयी हिन्दी**की शब्द सम्पदा और उसकी संरचना, जनसंचार की शब्द सम्पदा और उसकी संरचना में पर्याप्त भेद देखने को मिलता है। इस प्रकार **प्रयोजनमूलक हिन्दी**प्रयोजनपरक विभिन्न भाषा-रूपों की समन्वयमा प्रयोजनमूलक हिन्दी का विकास भाषा विज्ञान (Linguistics) की विशिष्ट शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान (Applied Line रूप में हुआ है। **सामाजिक-व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के कारण ही इसे प्रयोजनमूलक कहा जाता है।**

**डॉ. भोलानाथ तिवारी** ने **प्रयोजनमूलक हिन्दी** के सात रूप माने हैं-

(1) बोलचाल की हिन्दी,

(2) व्यापारी हिन्दी,

(3) कार्यालयी हिन्दी,

(4) शास्त्रीय हिन्दी,

(5) तकनीकी हिन्दी,

(6) साहित्यिक हिन्दी,

(7) सामाजिक हिन्दी।

जबकि **डॉ. दिलीप सिंह** जी ने इसके **पाँच रूप**माने हैं—

(1) वैज्ञानिक और तकनीकी हिन्दी.

(2) विधि की हिन्दी,

(3) प्रशासनिक कार्यालयी हिन्दी,

(4) जनसंचार माध्यमों की हिन्दी,

(5) वाणिज्य और व्यवसाय की हिन्दी।

**प्रयोजनमूलक हिन्दी** का स्वरूप गत्यात्मक है। आवश्यकतानुसार यह अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। कार्यालय व्यवसाय संचार,राजनीति आदि क्षेत्रों में यही अभिव्यक्ति का माध्यम है । इसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली पद रचना और वाक्य विन्यास है। इसका सरल सुबोध रूप विशिष्ट रचना,प्रक्रिया और पारिभाषिक शब्दावली सरकारी कार्यालयों के काम-काज को सम्पन्न करने में सक्षम है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी की शैलियाँ प्रवृत्तियाँ इसकी जीवन्तता एवं गतिशीलता की द्योतक है। वहीं नवीन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उन्नति इसके स्वरूप का विकास कर रहे हैं।

**डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी जी** की इसके स्वरूप के सम्बन्ध में मान्यता है कि “प्रकार्य की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक ही है, किन्तु इनके स्वरूप में मूल अन्तर यह है कि साहित्यिक भाषा में अर्थ बहुधा व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है, जबकि**प्रयोजनमूलक** भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है। साहित्यिक भाषा प्रायः अलंकारपूर्ण और अनेकार्थी होती है, जबकि **प्रयोजनमूलक भाषा** प्राय: अलंकार रहित, सीधी स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होती है।"

**प्रयोजनमूलक हिन्दी के उद्देश्य-**

इसके उद्देश्य अधोलिखित हैं

1. सुयोग्य तथा परिपूर्ण दुभाषियों को तैयार करना जो शासन संचालन तथा समाज की सेवा कर सकें।

2. विभिन्न भाषाओं के मध्य सम्पर्क सेतु का कार्य करना।

3. भाषा के विभिन्न रूपों शैलियों की जानकारी देना।

4. हिन्दी के द्वारा आदर्श अनुवादक तैयार करना ।

5. हिन्दी भाषा के समन्वयात्मक स्वरूप से अहिन्दी भाषियों को परिचित कराना।

6. वैज्ञानिक एवं तकनीक क्षेत्रों में हिन्दी के अनुप्रयोग से परिचित कराकर उसमें योग्यता हासिल करना।

7. हिन्दी भाषा के अन्य व्यावहारिक पक्षों एवं दैनिक व्यवहार की भाषाई आवश्यकता की संपूर्ति का प्रयास करना।

8. साहित्येतर तथा व्यावहारिक क्षेत्रों में राजभाषा के उद्देश्यों को सफल करने के लिए निपुणता एवं कौशल को विकसित करना ।

9. दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त हिन्दी शब्दावली तथा मानक पारिभाषिक शब्दावली का बोध कराना।

**महत्व-**

आज प्रत्येक क्षेत्र में इसकी पहँच हो चुकी है और यह हमारे प्रत्येक अयाजन की पूर्ति में सक्षम और समर्थ है। इसकी शब्द-सम्पदा एवं पारिभाषिक शब्दावली पूर्णरूप से समृद्ध है। प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी विश्व बाजार तक इसकी पहुंच है। भाषा के मानक रूपों का विकास इसके महत्व को प्रतिपादित करता है।

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।

संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमश: अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुचछेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची-8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं-

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो ता डोगरी।

सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

**संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा**

संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 120 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा, परंतु यथा स्थिति लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 120 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो।

**विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा**

संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 210 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा, किंतु यथा स्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को, जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 210 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेज़ी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

**संघ की राजभाषा**

संविधान के भाग-17 के अनुचछेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी, 1965) तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। (अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी।)

अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी अर्थात् 26 जनवरी, 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

**अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा**

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्‌, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति**

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात्‌ ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को :

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

**अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं**

**अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं**

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

**अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा**

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

**अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध**

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

**अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा**

**अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा**

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv‌) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया**

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ही देगा, अन्यथा नहीं।

**अध्याय 4 विशेष निदेश**

**अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा**

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

**अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं**

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

**अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी**

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

**अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश**

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।